परीक्षा समिति की बैठक दिनांकः 26.11.2018 का कार्यवृत्त

आज दिनांक 26.11.2018, दिन सोमवार को अपराह्न 03:00 बजे सेण्टर फॉर एकेडिमिक्स भवन स्थित कार्यपरिषद कक्ष में परीक्षा समिति की बैठक सम्पन्न हुई, बैठक में निम्नांकित उपस्थित रहे :–

1.	प्रो0 नीलिमा गुप्ता, कुलपति, सी.एस.जे.एम. विश्वविद्यालय, कानपुर।	अध्यक्ष
2.	प्रो0 सुभाष चन्द्र अग्रवाल, संकायाध्यक्ष, शिक्षा विभाग, सी.एस.जे.एम. विश्वविद्यालय, कानपुर।	सदस्य
3.	प्रो0 संजय कुमार श्रीवास्तव, आचार्य, आई.बी.एम., सी.एस.जे.एम. विश्वविद्यालय, कानपुर।	सदस्य
4.	प्रो0 संजय कुमार स्वर्णकार, आचार्य, अंग्रेजी विभाग, सी.एस.जे.एम. वि.वि., कानपुर।	सदस्य
5.	प्रो0 मुकेश रंगा, आचार्य, आई.बी.एम., सी.एस.जे.एम. विश्वविद्यालय, कानपुर।	सदस्य
6.	डॉ0 सुधीर कुमार अवस्थी, सह–आचार्य, जीवन विज्ञान विभाग, सी.एस.जे.एम. वि.वि., कानपुर।	सदस्य
7.	डॉ0 अंशु यादव, सह–आचार्य, आई.बी.एम., सी.एस.जे.एम. विश्वविद्यालय, कानपुर।	सदस्य
8.	डॉ0 बृजेश यादव, अध्यक्ष, कानपुर यूनिवर्सिटी टीचर्स एसोसिएशन।	सदस्य
9.	डॉ0 विवेक द्विवेदी, महामंत्री, कानपुर यूनिवर्सिटी टीचर्स एसोसिएशन।	सदस्य
10.	डॉ0 विनोद कुमार सिंह, कुलसचिव, सी.एस.जे.एम. विश्वविद्यालय, कानपुर।	विशेष आमंत्रित सदस्य
11.	डॉ0 सरोज द्विवेदी, सिस्टम मैनेजर, सी.एस.जे.एम. विश्वविद्यालय, कानपुर।	विशेष आमंत्रित सदस्य
12.	श्री एस.एल. पाल, परीक्षा नियंत्रक, सी.एस.जे.एम. विश्वविद्यालय, कानपुर।	सचिव

माननीय कुलपति जी ने निवर्तमान सदस्यों का अभार एवं नवागन्तुक सदस्य का स्वागत करते हुए परीक्षा समिति की कार्यवाही प्रारम्भ की। सम्यक विचारोपरान्त परीक्षा समिति द्वारा सर्वसम्मति से निम्नांकित निर्णय लिए गये :–

मद सं0–1. **परीक्षा समिति की सामान्य बैठक दिनांक 04.09.2018 के कार्यवृत्त के सम्पुष्टि पर विचार :–**

निर्णय :– परीक्षा समिति की सामान्य बैठक दिनांक 04.09.2018 के कार्यवृत्त को परीक्षा समिति ने सर्वसम्मति से सम्पुष्ट किया।

मद सं0–2. **दिनांक 04.10.2018 एवं 05.10.2018 को सम्पन्न हुई संस्थागत/व्यक्तिगत बैकपेपर परीक्षा कराये जाने से परीक्षा समिति को संसूचित किए जाने पर विचार :–**

निर्णय :– दिनांक 04.10.2018 एवं 05.10.2018 को संस्थागत/व्यक्तिगत बैकपेपर परीक्षा सम्पन्न करायी गई थी, जिससे परीक्षा समिति सर्वसम्मति से संसूचित हुई।

मद सं0–3. **दिनांक 17.09.2018 से दिनांक 20.09.2018 तक सम्पन्न हुई बैच 2016–18 की बी0एड0 द्वितीय वर्ष की परीक्षा कराये जाने से परीक्षा समिति को संसूचित किए जाने पर विचार :–**

निर्णय :– दिनांक 17.09.2018 से दिनांक 20.09.2018 तक बैच 2016–18 की बी0एड0 द्वितीय वर्ष की परीक्षा सम्पन्न करायी गयी थी, जिससे परीक्षा समिति सर्वसम्मति से संसूचित हुई।

मद सं0–4. **दिनांक 27.11.2018 से दिनांक 14.12.2018 तक सम्पन्न होने वाली 2018–19 की विषम सेमेस्टर परीक्षा कराये जाने से परीक्षा समिति को संसूचित किए जाने पर विचार :–**

निर्णय :– दिनांक 27.11.2018 से दिनांक 14.12.2018 तक सत्र 2018–19 की विषम सेमेस्टर परीक्षा सम्पन्न करायी जानी है, जिससे परीक्षा समिति सर्वसम्मति से संसूचित हुई।

मद सं0–5. **चौ0 इंदल सिंह महाविद्यालय, लखइयामऊ, गुरसहायगंज, कन्नौज के 33 छात्र/छात्राओं एवं स्नेहलता गुप्ता महाविद्यालय, कानपुर की 1 छात्रा को बैच 2016–18 के बी0एड0 द्वितीय वर्ष की परीक्षा हेतु सब्मिशन समयान्तर्गत न होने के कारण प्रथम प्रश्नपत्र की परीक्षा छूट जाने एवं तत्पश्चात् द्वितीय प्रश्नपत्र की परीक्षा से सम्मिलित किए जाने के प्रकरण पर संसूचित किए जाने पर विचार :–**

निर्णय :– दिनांक 17.09.2018 से प्रारम्भ हुई बैच 2016–18 की बी0एड0 द्वितीय वर्ष की परीक्षा में चौ0 इंदल सिंह महाविद्यालय, लखइयामऊ, गुरसहायगंज, कन्नौज के 33 छात्र/छात्राओं एवं स्नेहलता गुप्ता महाविद्यालय,

26/XI.

26/11/18

कानपुर की 1 छात्रा का परीक्षाफार्म सब्मिशन समयान्तर्गत न होने के कारण प्रथम प्रश्नपत्र (दिनांक 17.09.2018) की परीक्षा छूट गई थी। तत्पश्चात् माननीया कुलपति महोदया के आदेशानुसार उपरोक्त छात्र/छात्राएं दिनांक 18.09.2018 से बी0एड0 द्वितीय वर्ष के द्वितीय प्रश्नपत्र की परीक्षा से सम्पूर्ण परीक्षा में सम्मिलित हुए। तत्सम्बन्ध में दोनों महाविद्यालयों को चेतावनी पत्र भी निर्गत किया गया था।

माह जनवरी, 2018 में बी0एड0 द्वितीय वर्ष की परीक्षा में प्रयाग महिला विद्यापीठ महाविद्यालय, इलाहाबाद परीक्षा केन्द्र के कतिपय छूटे छात्रों द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में पुर्नपरीक्षा हेतु याचिका योजित की गई थी। माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के अनुक्रम में दिनांक 12.11.2018 को उपरोक्तानुक्रम में बी0एड0 द्वितीय वर्ष की विशेष पुर्नपरीक्षा सम्पन्न करायी गई, जिसके साथ चौ0 इंदल सिंह महाविद्यालय, लखइयामऊ, गुरसहायगंज, कन्नौज के 33 छात्र/छात्राओं एवं स्नेहलता गुप्ता महाविद्यालय, कानपुर की 1 छात्रा की भी बी0एड0 द्वितीय वर्ष के प्रथम प्रश्नपत्र की परीक्षा सम्पन्न करायी गई है।

कृत कार्यवाही से परीक्षा समिति सर्वसम्मति से संसूचित हुई।

मद सं0–6. प्राचार्य, चौ0 बनवारी लाल महाविद्यालय, हसेरन, कन्नौज द्वारा अपने पत्र दिनांक 23.08.2018 के माध्यम से छात्रा कु0 आकांक्षा पुत्री श्री शिवनाथ के बी0एससी0 द्वितीय वर्ष, विषय–रसायन विज्ञान की प्रायोगिक परीक्षा के अंकों में हुई त्रुटि के प्रकरण पर विचार :–

निर्णय :– प्राचार्य, चौ0 बनवारी लाल महाविद्यालय, हसेरन, कन्नौज द्वारा अपने पत्र दिनांक 23.08.2018 के माध्यम से निवेदन किया गया है कि उनके महाविद्यालय की छात्रा कु0 आकांक्षा पुत्री श्री शिवनाथ के बी0एससी0 द्वितीय वर्ष, विषय–रसायन विज्ञान विषय की प्रायोगिक परीक्षा में कम्प्यूटर ऑपरेटर की त्रुटि से 40 के स्थान पर 04 अंक अंकित हो गये थे, जो परीक्षा परिणाम घोषित होने के उपरान्त ज्ञात हुआ। तत्पश्चात छात्रा रसायन विज्ञान की छूटी हुई प्रायोगिक परीक्षा में पी.पी.एन. कालेज, कानपुर में सम्मिलित हुई, जो कि नियमानुसार उचित नहीं है। छात्रा को छूटी हुई प्रायोगिक परीक्षा में प्राप्तांक 23/50 है।

विश्वविद्यालय के मूल्यांकन विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि सम्बन्धित छात्रा को बी0एएसी0 द्वितीय वर्ष की अर्द्धवार्षिक प्रायोगिक परीक्षा की उत्तर पुस्तिका में 19 तथा वार्षिक प्रायोगिक परीक्षा में 21 अंक प्राप्त हुए है, किन्तु छात्रा की पहली उत्तर पुस्तिका में किसी भी परीक्षक के हस्ताक्षर अंकित नहीं है।

परीक्षा समिति ने सम्यक विचारोपरान्त सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि उक्त प्रकरण पर प्राचार्य से प्रायोगिक परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं पर अभिमत प्राप्त करने के उपरान्त तद्नुसार अग्रेतर कार्यवाही सुनिश्चित की जाय तथा छूटी हुई प्रायोगिक परीक्षा निरस्त मानी जाय।

कार्यवाही–उपकुलसचिव (अतिगोपनीय)/सिस्टम मैनेजर

मद सं0–7. श्री मोहित मिश्रा, छात्र बी0फार्मा0, अनुक्रमांक–4165076, बैच 2011–15 के बी0फार्मा0 पंचम सेमेस्टर के बी0पी0एच0–504 प्रश्नपत्र की स्पेशल बैकपेपर परीक्षा कराये जाने के प्रकरण पर विचार :–

निर्णय :– श्री मोहित मिश्रा, छात्र बी0फार्मा, बैच 2011–15, अनुक्रमांक–4165076, इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी ने प्रार्थना पत्र दिनांक 17.09.2018 के माध्यम से अवगत कराया है कि छात्र का बी0फार्मा0 पाठ्यक्रम के पंचम सेमेस्टर के मेडिसिनल केमेस्ट्री–I (BPH-504) में बैक लग गई थी, जिसका छात्र द्वारा पुनः बैकपेपर दिया गया, किन्तु पुनः 01 नम्बर से बैक लग गई। छात्र द्वारा पाठ्यक्रम पूर्ण करने की निर्धारित अवधि 07 वर्ष पूर्ण की जा चुकी है। छात्र द्वारा यह भी अवगत कराया गया है कि इलाहाबाद बैंक से ऋण लेकर उक्त पाठ्यक्रम का अध्ययन कर रहा था। छात्र द्वारा बी0फार्मा0–पंचम सेमेस्टर के मेडिसिनल केमेस्ट्री–I में बैकपेपर में सम्मिलित होने का अन्तिम अवसर प्रदान करने का अनुरोध किया गया है। तत्क्रम में यह भी सूच्य है कि उक्त छात्र द्वारा 8वें सेमेस्टर तक की परीक्षा उत्तीर्ण की जा चुकी है।

तत्सम्बन्ध में परीक्षा समिति ने सम्यक विचारोपरान्त सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि अध्यादेश के अनुसार पाठ्यक्रम उत्तीर्ण करने की अवधि पूर्ण होने के उपरान्त बैकपेपर/इम्प्रूमेण्ट परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति प्रदान नहीं की जा सकती है।

कार्यवाही–सहा0/उपकुलसचिव (अतिगोपनीय/परीक्षा)/सिस्टम मैनेजर

26/xi.

26/11/18

मद सं0–8. **श्री राम भजन सिंह महाविद्यालय, ढखिया पासी, पसगवाँ, लखीमपुर खीरी के प्रबन्धक द्वारा की गयी शिकायत एवं उक्त प्रकरण पर गठित जाँच समिति की आख्या पर विचार :–**

निर्णय :- श्री राम भजन सिंह महाविद्यालय, ढखिया पासी, पसगवाँ, लखीमपुर खीरी ने अपने पत्र दिनांक 11.07.2018 के माध्यम अवगत कराया है कि बी0ए0 द्वितीय वर्ष, विषय चित्रकला, प्रश्नपत्र सं0–78N एवं बी0ए0 तृतीय वर्ष, विषय–भूगोल, प्रश्नपत्र सं0–311N में सामूहिक नकल में आरोपित किया गया। महाविद्यालय को सत्र 2017–18 की परीक्षा में परीक्षा केन्द्र बनाया गया था, जिस पर अन्य 02 महाविद्यालयों (LM28 & LM61) की भी परीक्षाएं संचालित थी। उपरोक्त परीक्षा केन्द्र पर उड़नदस्ते की आख्या के आधार पर बी0ए0 द्वितीय वर्ष, चित्रकला विषय में सामूहिक नकल में अनुचित साधन प्रयोग समिति ने श्री भज्जालाल फूलमती महाविद्यालय, लखीमपुर खीरी (LM61) के छात्रों को सामूहिक नकल का दोषी न मानते हुए उनका परीक्षाफल घोषित करने की संस्तुति कर दी, परन्तु श्री राम भजन सिंह महाविद्यालय, लखीमपुर खीरी (LM30) के छात्रों को सामूहिक नकल का दोषी माना था, जबकि LM61 के छात्र भी चित्रकला की परीक्षा में सम्मिलित हुए थे।

श्री राम भजन सिंह महाविद्यालय, लखीमपुर खीरी के प्रबन्धक ने प्रत्यावेदित किया है कि परीक्षा केन्द्र पर मिश्रित आसन व्यवस्था के अन्तर्गत परीक्षा करायी गई है। उड़नदस्ते के संयोजक डॉ0 राम बक्श द्वारा प्रति कालेज रू0 50000/– की मांग की गई थी तथा धन न देने पर सामूहिक नकल की रिपोर्ट की गई है। परीक्षा मिश्रित आसन व्यवस्था के अन्तर्गत करायी गई थी, तो एक महाविद्यालय का परीक्षा परिणाम घोषित किया गया जबकि दूसरे महाविद्यालय को सामूहिक नकल में दोषी कैसे पाया गया।

सम्बन्धित प्रकरण की जाँच हेतु माननीया कुलपति महोदया द्वारा एक जाँच समिति गठित की गई। जाँच समिति ने प्रकरण पर निम्नाकिंत निष्कर्ष प्रस्तुत किए :–

1. परीक्षा केन्द्र श्री राम भजन सिंह महाविद्यालय, ढकिया पासी, लखीमपुर खीरी (LM30) में सन्दर्भित परीक्षा बी0ए0 द्वितीय वर्ष चित्रकला प्रश्नपत्र संख्या–78N में उपरोक्त परीक्षा केन्द्र LM30 के साथ ही श्री भज्जा लाल फूलमती महाविद्यालय (LM61) के परीक्षार्थी सम्मिलित थे।
2. परीक्षा केन्द्र LM30 के परीक्षार्थियों की उत्तर पुस्तिकाओं में लगभग सभी परीक्षार्थियों ने प्रश्न संख्या 1, 2, 5, 6 एवं 7 के प्रश्नों का उत्तर दिया है। इन उत्तरों के क्रम में यद्यपि विभिन्नता पाई गई है परन्तु उत्तरों की लेख सामग्री समान है। इस प्रकार स्पष्ट है कि सभी परीक्षार्थी सामूहिक नकल में लिप्त सिद्ध होते है।
3. परीक्षा केन्द्र संख्या LM61 के परीक्षार्थियों की उत्तर पुस्तिकाओं में अनिवार्य प्रश्न संख्या–1 के विभिन्न खण्ड के उत्तर में यद्यपि कुछ असमानताएं प्रदर्शित होती हैं, परन्तु अधिकांश परीक्षार्थियों के उत्तर क्रम 1, 2, 5, 6, व 7 ही हैं व उनके उत्तरों की लिखित सामग्री में एकरूपता है। यह तथ्य इस बात को उद्घटित करता है कि परीक्षा केन्द्र LM61 के परीक्षार्थी भी सामूहिक नकल में दोषसिद्ध स्पष्ट होते हैं।
4. परीक्षा केन्द्र LM30 व LM61 के परीक्षार्थियों की बी0ए0 द्वितीय वर्ष चित्रकला प्रश्नपत्र संख्या–78N की उत्तर पुस्तिकाओं के उत्तरों में एकरूपता के स्पष्ट प्रमाण दृष्टिगोचर होते हैं, जिसके आधार पर दोनों ही परीक्षा केन्द्रों पर सामूहिक नकल की पुष्टि होती है।
5. उपरोक्त तथ्यों के आलोक में श्री राम भजन सिंह महाविद्यालय के आवेदन पत्र में उल्लिखित तथ्य कि "दोनों महाविद्यालयों के परीक्षार्थी मिश्रित सीटिंग प्लान के तहत परीक्षा कक्ष में बैठाये गए थे और दोनों ही उड़नदस्ते द्वारा सामूहिक नकल में आरोपित हुए।" यह सत्य है, फिर भी श्री राम भजन सिंह महाविद्यालय, खीरी (LM30) का बी0ए0 द्वितीय वर्ष का परीक्षाफल रोक लिया गया, जबकि श्री भज्जा लाल फूलमती महाविद्यालय, खीरी (LM61) को आरोप मुक्त करते हुए परीक्षाफल घोषित कर दिया गया।

उक्त निष्कर्ष पर जाँच समिति द्वारा यह संस्तुति की गई कि दोनों महाविद्यालयों (LM30 & LM61) के समान रूप से दोषी होने के कारण नैसर्गिक न्याय के आधार पर दोनों महाविद्यालयों के साथ कार्यवाही में भी समानता व एकरूपता रखी जाय।

26/XI.

26/11/18

तत्क्रम में जाँच समिति की आख्या पर परीक्षा समिति ने सम्यक विचारोपरान्त सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि दोनों महाविद्यालयों (LM30 & LM61) के समान रूप से दोषी होने के कारण नैसर्गिक न्याय के आधार पर दोनों महाविद्यालयों में समानता व एकरूपता रखते हुए श्री राम भजन सिंह महाविद्यालय, ढखिया पासी, पसगवाँ, लखीमपुर खीरी को सामूहिक नकल से दोषमुक्त किया जाय। साथ ही अनुचित साधन प्रयोग समिति में प्रो0 मुकेश रंगा, आचार्य, आई0बी0एम0 एवं डॉ0 सुधीर कुमार अवस्थी, सह–आचार्य, जीवन विज्ञान विभाग को सदस्य नामित किये जाने का निर्णय लिया गया।

मद सं0–9. माननीय उच्च न्यायालय में योजित याचिका सं0–4128/2018 में याची एहसान शेख राज व अन्य 07 बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया मिनिस्ट्री ऑफ आयुष एवं अन्य 03 के प्रकरण पर गठित जाँच समिति की आख्या पर विचार :–

निर्णय :– माननीय उच्च न्यायालय में योजित याचिका संख्या–4128/2018, एहसान शेख राज एवं 7 अन्य बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया मिनिस्ट्री ऑफ आयुष एवं 3 अन्य में पारित आदेश दिनांक 31.01.2018 के माध्यम से श्री साईं मेडिकल पी.जी. कालेज, अलीगढ़ के सत्र 2011–12 में प्रवेशित बी0ए0एम0एस0 पाठ्यक्रम के ऐसे छात्र/छात्राओं को प्रथम व्यावसायिक पूरक परीक्षा में सम्मिलित कराने का प्रकरण है, जो 04 बार परीक्षा में अनुत्तीर्ण रहे है।

छात्रों द्वारा बी0ए0एम0एस0 पाठ्यक्रम में वर्ष 2011 में प्रवेश लिया था, उस समय भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद के विनिमय–1986 (13 जुलाई, 1989 तक अपडेटेड) में वर्णित विनिमय धारा–801(V) के अनुसार नियमानुसार देय अवसरों (03+01 मा0 कुलपति जी द्वारा) का उपभोग करने के उपरान्त भी परीक्षा में अनुत्तीर्ण रहते है, तो इन्हें अध्ययन जारी रखने की अनुमति प्रदान नहीं की जा सकती है। याचियों ने भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद के विनिमय–2012 एवं विनिमय–2016 के अनुसार पुनः परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति प्रदान करने का अनुरोध किया गया है। विनिमय–2012, जुलाई 2012 एवं विनिमय–2016, जुलाई–2017 या इसके बाद के छात्रों पर लागू है।

उक्त पर माननीया कुलपति महोदया द्वारा एक जाँच समिति गठित की गई। जाँच समिति ने प्रकरण पर निम्नाकिंत निष्कर्ष प्रेषित किए :–

1. श्री सांई आयुर्वेद मेडिकल पी.जी. कालेज, अलीगढ़ के सत्र 2011–12 में प्रवेशित 27 छात्र/छात्राएं प्रथम व्यावसायिक परीक्षा में 04 बार सम्मिलित होने के उपरान्त भी उत्तीर्ण नहीं हो सके।
2. भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद की अधिसूचना दिनांक 26 अप्रैल, 2012 की अनुसूची प्रथम के बिन्दु–6.1 (III) में स्पष्ट उल्लेख है कि "दो से अनधिक विषयों में अनुत्तीर्ण छात्र द्वितीय व्यावसायिक पाठ्यक्रम हेतु निबन्धन के लिए पात्र नहीं होगा तथापि जब तक वह छात्र प्रथम व्यावसायिक परीक्षा के सभी विषयों में उत्तीर्ण नहीं हो जाता, तब तक उस छात्र को द्वितीय व्यावसायिक परीक्षा में बैठनें की अनुमति नहीं होगी।"
3. उक्त 27 छात्र/छात्राएं 04 अवसर प्राप्त कर चुके है।
4. मेडिकल कालेज उक्त प्रकरण के सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय भी गया था। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा प्रकरण का 06 सप्ताह में समुचित निर्णय लेने हेतु कुलपति को अधिकृत किया गया है।
5. उक्त प्रकरण से कोई एक व्यक्तिगत छात्र/छात्रा ही प्रभावित नहीं है वरन् 27 छात्र/छात्राओं का भविष्य प्रभावित है।
6. छात्रों के व्यापक भविष्य, हित एवं उनके कैरियर को देखते हुए समिति का यह अभिमत है कि मानवीय आधार पर पूरक परीक्षा में सम्मिलित करने हेतु एक और अवसर प्रदान किया जाना समीचीन होगा। यहाँ यह भी उल्लेख किया जाना उचित होगा कि यदि प्रश्नगत 27 छात्र/छात्राएं इस अन्तिम अवसर के पश्चात् भी उत्तीर्ण नहीं होते है तो उनको विश्वविद्यालय द्वारा किसी भी स्थिति में पुनः कोई अवसर प्रदान नहीं किया जायेगा।
7. समिति का उक्त निर्णय परीक्षा समिति एवं कार्यपरिषद के निर्णय के अधीन होगा तथा इस प्रकरण पर परीक्षा समिति एवं कार्यपरिषद का निर्णय अन्तिम होगा।

26/XI.

26/11/18

8. उक्त निष्कर्ष पर जाँच समिति द्वारा यह संस्तुति की गई कि उपरोक्त तथ्यों के आलोक में 27 छात्र/छात्राओं को पूरक परीक्षा में सम्मिलित किया जाय।

जाँच समिति की आख्या के आधार पर छात्रहित में उक्त 27 छात्रों को बी0ए0एम0एस0 की परीक्षा में सम्मिलित कराया गया।

उक्त प्रकरण से परीक्षा समिति सर्वसम्मति से संसूचित हुई।

मद सं0–10. **माननीय उच्च न्यायालय में योजित याचिका सं0–33285/2018 में याची सोनी सोनकर के प्रकरण पर विचार :–**

निर्णय :– माननीय उच्च न्यायालय में योजित याचिका संख्या 33285/2018, सोनी सोनकर बनाम उ0प्र0 राज्य एवं अन्य में पारित माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 05.10.2018 के सम्बन्ध में विश्वविद्यालय के अधिवक्ता, श्री रोहित पाण्डेय द्वारा अपने पत्र दिनांक 10.10.2018 के माध्यम से अवगत कराया है कि याची, B.Sc (Nursing)-IIIrd Year (Main/Supply) Examination 2015-16, June, 2017 परीक्षा के प्रश्नपत्र मेन्टल हेल्थ नर्सिंग की पूरक परीक्षा में सम्मिलित हुयी थी तथा उक्त प्रश्नपत्र में याची को 29/75 अंक प्राप्त हुए थे। याची द्वारा उक्त प्रश्नपत्र की उत्तर–पुस्तिका के चुनौती मूल्यांकन हेतु आवेदन किया गया था तथा चुनौती मूल्यांकन के पश्चात् याची को 40/75 अंक प्राप्त हुए तथा निर्धारित नियमों के अन्तर्गत याची का चुनौती मूल्यांकन का परिणाम अपरिवर्तित घोषित किया गया।

विचाराधीन याचिका इस प्रार्थना के साथ योजित की गयी है कि चुनौती मूल्यांकन के नियम–5 एवं 6 को निरस्त किया जाए तथा याची को चुनौती मूल्यांकन के पश्चात् प्राप्त अंक अंकित कर प्रश्नगत परीक्षाफल उत्तीर्ण घोषित किया जाए। याचिका को निस्तारित करते हुए माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के प्रभावी अंश निम्नवत् है :–

"Having said so, this Court still feels that in the peculiar facts of the instant case, the petitioner is entitled to change in marks on basis of the result of reevaluation. As already noted, upon re-evaluation, there is average increase of 11 marks, which is only fractionally less than 15% of the maximum marks i.e. 11.25. If the petitioner is given benefit of the result of re-evaluation, she gets 29+11= 40 marks. The pass percentage in a subject is 50% of the maximum marks i.e. 38. The petitioner would thus, sail through the examinations.

The impugned clauses do not provide for the manner how fraction of a mark has to be dealt with where 15% of the maximum marks is a fraction as in the instant case. Usually a fraction has to be rounded off to the nearest integer. If this principle is applied, 11.25 would be 11 marks which the petitioner has achieved. The fate of the petitioner cannot be permitted to hang in balance because of the element of subjectivity much beyond her control. Since as a result of re-evaluation, the petitioner has succeeded in getting more than 50% of the maximum marks which is the limit prescribed for passing a subject and has also touched the prescribed 15% limit, this Court is of the opinion that fortuitous circumstances should not be allowed to mar her future prospects; she should be declared Pass.

It is directed accordingly.

The writ petition stands disposed of with a further direction to the Examination Committee of the respondent University to revisit the guidelines framed by it in this regard within eight weeks giving due credence to the aspects noted above.

The compliance of the above directions shall be communicated to this Court through the Registrar General."

Hon'ble Manoj Kumar Gupta, J.

05.10.2018

माननीय उच्च न्यायालय के उपर्युक्त आदेशों द्वारा निदेशित किया गया है कि याची द्वारा चुनौती मूल्यांकन के उपरांत 50 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त किए गए है, जो कि चुनौती मूल्यांकन के निर्धारित नियमों के अन्तर्गत 15 प्रतिशत की सीमा के निकट है, अतः उपरोक्त परिस्थितियों में याची का परीक्षाफल उत्तीर्ण घोषित किया जाए तथा यह निदेशित किया जाता है कि विश्वविद्यालय की परीक्षा समिति चुनौती मूल्यांकन हेतु निर्धारित नियमों पर पुनर्विचार करे तथा लिए गए निर्णय से 8 सप्ताह की अवधि में माननीय उच्च न्यायालय को सूचित करे।

26/XI.

26/11/18

विश्वविद्यालय के अधिवक्ता, श्री रोहित पाण्डेय के पत्र द्वारा यह सूचित किया गया है कि यद्यपि माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में चुनौती मूल्यांकन हेतु निर्धारित दिशा निर्देशों पर पुनर्विचार किया जाना वांछित है, तथापि उनके मतानुसार माननीय उच्च न्यायालय के उपर्युक्त आदेश दिनांक 05.10.2018 के सन्दर्भ में माननीय उच्च न्यायालय की डिवीजन बेंच के समक्ष स्पेशल अपील प्रस्तुत किया जाना उचित होगा।

तत्क्रम में वर्णित तथ्यों के आलोक में परीक्षा समिति ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि उक्त छात्रा को माननीय उच्च न्यायलय के अनुपालन में चुनौती मूल्यांकन द्वारा प्रदान किए गए 11.25 प्रतिशत (40/75) का लाभ प्रदान किया जाय। साथ ही परीक्षा समिति ने चुनौती मूल्यांकन की परिनियमावली पर पुर्नविचार करने हेतु एक समिति का गठन किया गया, जिसमें सदस्य के रूप में प्रो0 मुकेश रंगा, डॉ0 विवेक द्विवेदी, डॉ0 अंशु यादव एवं परीक्षा नियंत्रक को नामित किया गया।

मद सं0–11. **छात्र विशाल तिवारी, सत्र 2017–18, एम0एससी0 (बायोटेक्नॉलाजी), चतुर्थ सेमेस्टर, अनुक्रमांक–6061211 के द्वितीय प्रश्नपत्र की उत्तर पुस्तिका में प्राप्तांकों में की गई छेड़छाड़ की शिकायत एवं उक्त प्रकरण पर गठित जाँच समिति की आख्या पर विचार :–**

निर्णय :– छात्र विशाल तिवारी, सत्र 2017–18, एम0एससी0 (बायोटेक्नॉलाजी), चतुर्थ सेमेस्टर, अनुक्रमांक–6061211 ने अपने आवेदन पत्र दिनांक 19.07.2018 के माध्यम से अवगत कराया है कि एम0एससी0 (बायोटेक्नॉलाजी) के द्वितीय प्रश्नपत्र Medical & Microbial Biotechnology में 30 अंक प्राप्त हुए थे, जिससे असन्तुष्ट होकर छात्र द्वारा ऑनलाइन आवेदन कर सम्बन्धित प्रश्नपत्र की उत्तर पुस्तिका प्राप्त की गयी, जिसमें उसको 48 अंक प्राप्त हुए है, जिसको प्रदान कर परीक्षा परिणाम संशोधित करने का अनुरोध किया है।

स्क्रूटनी विभाग की टीप के अनुसार उक्त छात्र द्वारा अपनी उत्तर पुस्तिका में अंक संशोधन करने हेतु स्क्रूटनी के लिए आवेदन किया गया था। छात्र की उत्तर पुस्तिका मूल परीक्षक को दी गई। परन्तु परीक्षक द्वारा उत्तर पुस्तिका में अंकित अंकों में Over Writing करने एवं अंकों से छेड़छाड़ करने का आरोप लगाते हुए संशोधन करने से इन्कार कर दिया गया। उत्तर पुस्तिका में प्राप्तांकों में की गई छेड़छाड़ की शिकायत एवं उक्त प्रकरण की जाँच हेतु माननीया कुलपति महोदया द्वारा जाँच समिति गठित की गई, जिसकी आख्या निम्नवत् है :–

1. मूल उत्तर पुस्तिका के मुख्य पृष्ठ पर अंकित प्रश्न सं0–1K उपखण्डों एवं कुल योग के अंको के साथ छेड़छाड़ की गयी।
2. मूल उत्तर पुस्तिका के अन्दर के पृष्ठों में प्रश्न सं0–1E को परीक्षक द्वारा मूल्यांकित किया गया है लेकिन कोई अंक प्रदान नहीं किया गया है।
3. उत्तर पुस्तिका में कुल अंकों का योग 46 है जबकि मुख्य पृष्ठ पर अंकित अंको का योग 48 है।
4. मुख्य पृष्ठ पर अंकित अंकों के साथ छेड़छाड़ पर परीक्षक द्वारा हस्ताक्षर अंकित नहीं किया गया है।
5. जाँच समिति ने परीक्षक द्वारा जाँची गई उत्तर पुस्तिका के पूर्ण बण्डल का अवलोकन किया गया, जिसमें समिति ने पाया कि इस उत्तर पुस्तिका को छोड़कर शेष सभी में परीक्षक द्वारा खाली पृष्ठों को काटकर end लिखा है।
6. परीक्षक द्वारा Award List में 30 अंक ही अंकित किए गए है।
7. तत्कालीन परीक्षा नियंत्रक द्वारा श्री उमानाथ के हस्ताक्षर से सत्र 2017–18 सत्र हेतु जारी कोरी उत्तर पुस्तिका का इस उत्तर पुस्तिका के साथ मिलान किया गया, जिसमें सम्पूर्ण उत्तर पुस्तिका में पंचिग द्वारा अंकित विश्वविद्यालय के नाम में अन्तर पाया। विद्यार्थी की मूल उत्तर पुस्तिका के प्रथम एवं अन्तिम पृष्ठ में एक सामन पंचिग तथा अलग पृष्ठों पर अलग पंचिग पायी गई।

इसी सन्दर्भ में मूल परीक्षक द्वारा दी गई आख्या के आलोक में तथ्यों का अवलोकन किया जा सकता है।

26/XI.

26/11/18

उक्त प्रकरण से परीक्षा समिति सम्यक विचारोपरान्त सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि छात्र को मूल परीक्षक द्वारा प्रदान किए गए 30 अंक यथावत रखे जाय। प्रथम दृष्टया उत्तर पुस्तिका में की गई छेड़छाड़ की जाँच हेतु प्रो0 नन्द लाल, परीक्षा नियंत्रक एवं सिस्टम मैनेजर की जाँच समिति गठित की गई।

मद सं0–12. **परीक्षा समिति की बैठक दिनांक 06.06.2018 में कु0 रिचा देवी के प्रकरण पर उत्तर पुस्तिका मूल्यांकित करने वाले परीक्षकों को सत्र 2017–18 एवं 2018–19 के परीक्षा कार्य से विरत रखने का निर्णय लिया गया था। तत्क्रम में परीक्षक संगीता अवस्थी द्वारा प्रस्तुत प्रत्यावेदन दिनांक 07.07.2018 पर विचार :–**

निर्णय :– कु0 रिचा देवी, छात्रा एम0एससी0 उत्तरार्द्ध, वर्ष–2017, विषय–जन्तु विज्ञान, अनुक्रमांक–2043616, डी0ए0वी0 कालेज, कानपुर के मूल्यांकन में अनियमितता एवं अंको की बढ़ोत्तरी के प्रकरण पर उत्तर पुस्तिका मूल्यांकित करने वाले परीक्षकों को परीक्षा समिति की बैठक दिनांक 06.06.2018 के मद सं0–04 में सत्र 2017–18 एवं 2018–19 हेतु परीक्षा कार्य से विरत रखने का निर्णय लिया गया था।

तत्क्रम में परीक्षक संगीता अवस्थी द्वारा दिनांक 07.07.2018 पर विचारार्थ अपना प्रत्यावेदन प्रस्तुत किया गया, जिसमें परीक्षक द्वारा आगामी सत्र 2018–19 के परीक्षा कार्यो से विरत रखने के आदेश को निरस्त करने के सम्बन्ध में पुर्नविचार करने का अनुरोध किया गया है।

उक्त प्रकरण से परीक्षा समिति सम्यक विचारोपरान्त सर्वसम्मति परीक्षक संगीता अवस्थी के प्रार्थनापत्र पर विचार करने हेतु प्रो0 मुकेश रंगा, डॉ0 विवेक द्विवेदी एवं परीक्षा नियंत्रक के सदस्यों वाली एक समिति गठित करने का निर्णय लिया।

मद सं0–13. **श्री अवधेश प्रताप सिंह के पत्र दिनांक 09.03.2018 के माध्यम से चुनौती मूल्यांकन (Challenge Evaluation) की परिनियमावली में की गई आपत्तियों के निस्तारण पर विचार :–**

निर्णय :– श्री अवधेश प्रताप सिंह चुनौती मूल्यांकन (Challenge Evaluation) की परिनियमावली पर विभिन्न प्रकार की आपत्तियां उठायी गयी है, जो निम्नवत् है :–

1. पूर्णांक का 85 प्रतिशत या इससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्र को चुनौती मूल्यांकन का दावा करने पर उपचार प्राप्त नहीं कर सकता है।
2. चुनौती मूल्यांकन में 15 प्रतिशत तक अंक प्राप्त करने वाले छात्र का परिणाम परिवर्तित नहीं होता है।
3. चुनौती मूल्यांकन की समस्त पाठ्यक्रमों का शुल्क रू0 3000/– अत्यधिक है।
4. चुनौती मूल्यांकन परिणाम घोषित करने की अवधि निर्धारित नहीं है।
5. चुनौती मूल्यांकन में अधिकतम् प्राप्तांक को पूर्णांक निर्धारित करने के निर्णय पर आपत्ति की गई है।

उक्त प्रकरण से परीक्षा समिति सम्यक विचारोपरान्त सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि मद सं0–10 में चुनौती मूल्यांकन के सन्दर्भ में गठित जाँच समिति ही जाँच प्रक्रिया सुनिश्चित करेगी।

9. **अन्य विषय अध्यक्ष महोदय की अनुमति से, में निम्नांकित प्रकरण प्रस्तुत किए गए :–**

मद सं0–क. **याचिका सं0–36338/2018 आदर्श सिंह बनाम उ0प्र0 राज्य एवं अन्य में याची आदर्श सिंह, छात्र एम0एड0 (भाग–1), परीक्षा 2015–16, अनुक्रमांक–0090551 के परीक्षाफल घोषित करने के प्रकरण पर विचार :–**

निर्णय :– तत्सम्बन्ध में परीक्षा समिति ने प्रकरण को आगामी परीक्षा समिति में रखने हेतु सन्दर्भित किया।

कार्यवाही–सहा0/उपकुलसचिव (अतिगोपनीय/परीक्षा)/सिस्टम मैनेजर

मद सं0–ख. **याचिका सं0–35168/2018, श्रीमती सुखप्रीत कौर बनाम उ0प्र0 राज्य एवं अन्य में याची सुखप्रीत कौर, बी0एड0–2003, अनुक्रमांक–33161 के प्रकरण पर विचार :–**

निर्णय :– उपरोक्तानुक्रम में परीक्षा समिति द्वारा प्रकरण को आगामी परीक्षा समिति में रखने हेतु सन्दर्भित किया गया।

कार्यवाही–सहा0/उपकुलसचिव (अतिगोपनीय/परीक्षा)/सिस्टम मैनेजर/प्रभारी, कोडिंग सेल

मद सं0–ग. **विभागाध्यक्ष, कम्प्यूटर एप्लीकेशन विभाग ने अपनी टीप दिनांक 15.11.2018 छात्र रविन्द्र कुमार, बैच–2011 को तृतीय एवं पंचम सेमेस्टर में विशेष बैकपेपर परीक्षा में सम्मिलित करने के प्रकरण पर विचार :–**

26/XI. 26/11/18

निर्णय :– तत्सम्बन्ध में परीक्षा समिति ने प्रकरण को आगामी परीक्षा समिति में रखने हेतु सन्दर्भित किया।

कार्यवाही–सहा0/उपकुलसचिव (यू0एफ0एम0)

मद सं0–घ. छात्र अरूण कुमार कुशवाहा, छात्र बी0ए0 प्रथम वर्ष, संस्थागत परीक्षा–2003, अनुक्रमांक–132462, अर्मापुर पी0जी0 कालेज, कानपुर की प्रायोगिक परीक्षा कराये जाने के प्रकरण पर विचार :–

निर्णय :– उपरोक्तानुक्रम में परीक्षा समिति ने प्रकरण को आगामी परीक्षा समिति में रखने हेतु सन्दर्भित किया।

कार्यवाही–सहा0/उपकुलसचिव (यू0एफ0एम0)

मद सं0–ड़. परीक्षा समिति से सम्बन्धित अध्यादेश के प्रस्तर–3 (One other member of the Executive Council Co-opted by the Examination Committee.) व प्रस्तर–4 (One other member of the Academic Council who is neither a member of the Executive Council nor Dean, to be Co-opted by the Examination Committee.) के अनुरुप सदस्यों को Co-opt किये जाने पर विचार :–

निर्णय :– परीक्षा समिति ने सम्यक विचारोपरान्त उपर्युक्त अध्यादेश के प्रस्तर–3 हेतु सर्वसम्मति से कार्यपरिषद सदस्य डॉ0 मुनेश कुमार, उपाचार्य, शिक्षक–प्रशिक्षक विभाग, छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर को तथा उक्त अध्यादेश के प्रस्तर–4 हेतु विद्यापरिषद के सदस्य डॉ0 देवेन्द्र अवस्थी, शिक्षक, समाजशास्त्र, वी0एस0एस0डी0 कालेज, कानपुर को सदस्य के रूप में Co-opt किया गया।

कार्यवाही–सहा0/उपकुलसचिव (यू0एफ0एम0)

अन्त में मा0 कुलपति जी द्वारा सदस्यों को धन्यवाद ज्ञापित करते हुए बैठक सम्पन्न हुई।

26/XI.
(एस.एल. पाल)
परीक्षा नियंत्रक/सचिव, परीक्षा समिति

26/11/18
(प्रो० नीलिमा गुप्ता)
कुलपति